न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –161/2019

अनवान : –

1. रामदेव पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।
2. ब्रमदेव पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा ।

– वादीगण

ब ना म

1. जयसिंह पुत्र मोमनराम उर्फ मामु जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।
2. भावना पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।
3. सुमन पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।
4. सुनिता पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील वादीगण
श्री ताराचंद मोटसरा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 3/3/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 1 वीआरडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं 2/2 के मु0 न0 92 के किला न0 8 ता 13, 19 ता 22, मु0 न0 93 किला न0 11 ता 25 मु0 न0 94 किला न0 16 व 25, मु0 न0 95 के किला न0 5 तथा मु0 न0 96 के किला न0 1 कि कुल 6.768 है0 की खातेदारी में प्रतिवादी 1 जयसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही विनाय दावा है।

वदीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उताराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा मोमनराम उर्फ मोमू की खातेदारी हुआ करती थी। मोमनराम उर्फ मोमू के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी जयसिंह के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी जयसिंह कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी जयसिंह अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सं 1 जयसिंह के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना ईकबाल दावा पेश किया। ईकबाल दावा पेश होने के कारण तनकीयात

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी रामदेव पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईआना तह0 व जिला सिरसा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबदी चक 1 बीआरडबलु संवत 2071–74 जो प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 1 बीआरडबलु संवत 2029–38 प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 1 बीआरडबलु खाता सं 35 प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 1 बीआरडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं 2/2 के मु0 न0 92 के किला न0 8 ता 13, 19 ता 22, मु0 न0 93 किला न0 11 ता 25 मु0 न0 94 किला न0 16 व 25, मु0 न0 95 के किला न0 5 तथा मु0 न0 96 के किला न0 1 कि कुल 6.768 है0 की खातेदारी में प्रतिवादी 1 जयसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उसकी बाबत प्रतिवादीगण ने ईकबाल दावा पेश किये। इसलिए वाद भूमि में वादी सं 1 रामदेव व वादी सं 2 ब्रमदेव को 1/2–1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार मुताबिक अनुतोष खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती है0 कि रोही मोजा चक 1 बीआरडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं 2/2 के मु0 न0 92 के किला न0 8 ता 13, 19 ता 22, मु0 न0 93 किला न0 11 ता 25 मु0 न0 94 किला न0 16 व 25, मु0 न0 95 के किला न0 5 तथा मु0 न0 96 के किला न0 1 कि कुल 6.768 है0 की खातेदारी कृषी भूमि में प्रतिवादी 1 जयसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उसकी बाबत प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 ने ईकवाल दावा पेश किया है इसलिए वाद भूमि में वादी सं 1 रामदेव व वादी सं 2 ब्रमदेव को 1/2–1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार मुताबिक अनुतोष खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण सं 1 ता 2 के हिस्से में तर्क कर दिया है। तर्क किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं 1 जयसिंह का नाम कलमजन कर वादी सं 1 रामदेव तथा वादी सं 2 ब्रमदेव 1/2–1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकरी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —161/2019

1. रामदेव पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।
2. ब्रमदेव पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा ।

— वादीगण

ब ना म

1. जयसिंह पुत्र मोमनराम उर्फ मामु जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।
2. भावना पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।
3. सुमन पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।
4. सुनिता पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गुसाईयाना तह0 व जिला सिरसा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण ताराचंद मोठसरा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर : वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती है0 कि रोही मोजा चक 1 बीआरडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं 2/2 के मु0 न0 92 के किला न0 8 ता 13, 19 ता 22, मु0 न0 93 किला न0 11 ता 25 मु0 न0 94 किला न0 16 व 25, मु0 न0 95 के किला न0 5 तथा मु0 न0 96 के किला न0 1 कि कुल 6.768 है0 की खातेदारी कृषी भूमि में प्रतिवादी 1 जयसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उसकी बाबत प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 ने ईकबाल दावा पेश किया है इसलिए वाद भूमि में वादी सं 1 रामदेव व वादी सं 2 ब्रमदेव को 1/2–1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार मुताबिक अनुतोष खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण सं 1 ता 2 के हिस्से में तर्क कर दिया है। तर्क किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं 1 जयसिंह का नाम कलमजन कर वादी सं 1 रामदेव तथा वादी सं 2 ब्रमदेव 1/2–1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ